संख्या-70/2025/001-672-24-1-2025-1868-बजट-2018

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 70 अगस्त, 2025**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजनान्तर्गत 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों पर कैपेसिटर बैंक की स्थापना हेतु प्राविधानित अंशपूँजी की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-461/अधि0नि0 (वित्त) /निधि-2/आय-व्ययक 2025-26/468, दिनांक 23 जुलाई, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों पर कैपेसिटर बैंक की स्थापना हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 6,61,00,000/- (रूपये छः करोड़ इकसठ लाख मात्र) आहरित कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम एवं शर्तें:-

(1) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि को आवश्यकता होने पर आहरित किया जायेगा तथा जिस मद में धनराशि रूवीकृत की गयी है उसी मद में खर्च किया जायेगा।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13-जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज/ लखनऊ और ऊर्जा विभाग/ वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

(5) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्ही कार्यों के लिए हो जो संबंधित डिस्काम्स द्वारा अपरिहार्य रूप से कराये जाने हो तथा जिनकी तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त कर ली गयी हो।

-2-

(6) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,61,00,000 (रुपये छह करोड़ इकसठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 4801061900900 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों पर कैपेसिटर बैंक्स की स्थापना (के.75/रा.25-रा.) मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-40-X-2025-26-दिनांक:13-8-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।

संख्या- 70/2025/001-672-24-1-2025-1868-2018, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
2- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) -प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001
3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।